



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 48] नई दिल्ली, दिसम्बर 2—दिसम्बर 8, 2018, शनिवार/अग्रहायण 11—अग्रहायण 17, 1940
No. 48] NEW DELHI, DECEMBER 2—DECEMBER 8, 2018, SATURDAY/AGRAHAYANA 11—AGRAHAYANA 17, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2018

का.आ. 1704.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 20 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 19 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, सुश्री अंशुला कांत (जन्म तिथि: 7.9.1960) को उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से और उनकी अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने की तारीख (अर्थात् 30.9.2020) तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 2/1/2016-बीओ-1]

ज्ञानोत्तम राय, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Financial Services)**New Delhi, the 7th September, 2018

S.O. 1704.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 19 read with sub-section (1) of section 20 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Government, hereby appoints Ms Anshula Kant (DoB: 7.9.1960) as Managing Director of the State Bank of India, with effect from the date of her taking over charge of the post and till the date of her attaining the age of superannuation (*i.e.*, 30.9.2020) or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 2/1/2016-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2018

का. आ. .1705—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के उप-प्रबंध निदेशक, सुश्री पद्माजा चुंदरू (जन्म तिथि 2.8.1961) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तथा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख (अर्थात् 31.8.2021) तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इंडियन बैंक में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/2/2018-बीओ-1]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 19th September, 2018

S.O. 1705.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, the Central Government, hereby appoints Ms. Padmaja Chunduru (DoB: 2.8.1961), Deputy Managing Director, State Bank of India, as Managing Director & Chief Executive Officer in Indian Bank with effect from the date of assumption of office, or till attaining the age of superannuation (*i.e.*, 31.8.2021), or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/2/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2018

का. आ. 1706.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के उप-प्रबंध निदेशक, श्री मृत्युंजय महापात्र (जन्म तिथि 3.5.1960) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तथा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख (अर्थात् 31.5.2020) तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सिंडिकेट बैंक में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/2/2018-बीओ-1]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 19th September, 2018

S.O. 1706.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, the Central Government, hereby appoints Shri Mrutyunjay Mahapatra (DoB 3.5.1960), Deputy Managing Director, State Bank of India, as Managing Director & Chief Executive Officer in Syndicate Bank with effect from the date of assumption of office and till attaining the age of superannuation (*i.e.*, 31.5.2020), or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/2/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2018

का. आ. 1707.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के उप-प्रबंध निदेशक, श्री कर्णम सेकर (जन्म तिथि 1.7.1960) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तथा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख (अर्थात् 30.6.2020) तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, देना बैंक में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/2/2018-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 19th September, 2018

S.O. 1707.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, the Central Government, hereby appoints Shri Karnam Sekar (DoB 1.7.1960), Deputy Managing Director, State Bank of India, as Managing Director & Chief Executive Officer in Dena Bank with effect from the date of assumption of office and upto the date of his attaining the age of superannuation (*i.e.*, 30.6.2020), or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/2/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2018

का. आ. 1708.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के उप-प्रबंध निदेशक, श्री पल्लव महापात्र (जन्म तिथि 25.2.1961) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तथा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख (अर्थात् 28.2.2021) तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/2/2018-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 19th September, 2018

S.O. 1708.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, the Central Government, hereby appoints Shri Pallav Mohapatra (DoB 25.2.1961), Deputy Managing Director, State Bank of India, as Managing Director & Chief Executive Officer in Central Bank of India with effect from the date of assumption of office, and till attaining the age of superannuation (*i.e.*, 28.2.2021), or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/2/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2018

का. आ. 1709.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक, श्री अतुल कुमार गोयल (जन्म तिथि 26.12.1964) को दिनांक 2.11.2018 को या इसके पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, यूको बैंक में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/2/2018-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 19th September, 2018

S.O. 1709.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, the Central Government, hereby appoints Shri Atul Kumar Goel (DoB 26.12.1964), Executive Director, Union Bank of India as Managing Director & Chief Executive Officer in UCO Bank, for a period of three years with effect from the date of assumption of office on or after 2.11.2018, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/2/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2018

का. आ. 1710.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, सिंडिकेट बैंक के कार्यपालक निदेशक, श्री सीएच. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव (जन्म तिथि 22.1.1962) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इलाहाबाद बैंक में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/2/2018-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 19th September, 2018

S.O. 1710.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, the Central Government, hereby appoints Shri Ch. S. S. Mallikarjuna Rao, (DoB 22.1.1962) Executive Director, Syndicate Bank as Managing Director & Chief Executive Officer in Allahabad Bank, for a period of three years with effect from the date of assumption of office, and or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/2/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2018

का. आ. 1711.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, इलाहाबाद बैंक के कार्यपालक निदेशक, श्री एस. हरिशंकर (जन्म तिथि 19.5.1961) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तथा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख (अर्थात् 31.5.2021) तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पंजाब एंड सिंध बैंक में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/2/2018-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 19th September, 2018

S.O. 1711.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1980 read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1980, the Central Government, hereby appoints Shri S. Harisankar (DoB 19.5.1961), Executive Director, Allahabad Bank as Managing Director & Chief Executive Officer in Punjab & Sind Bank with effect from the date of assumption of office and upto the date of his attaining the age of superannuation (*i.e.*, 31.5.2021), or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/2/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2018

का. आ. 1712.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के उप-प्रबंध निदेशक, श्री जे. पैकिरीसामी (जन्म तिथि 28.2.1961) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तथा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख (अर्थात् 28.2.2021) तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, आंध्रा बैंक में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/2/2018-बीओ-1]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 19th September, 2018

S.O. 1712.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1980 read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1980, the Central Government, hereby appoints Shri J Packirisamy (DoB 28.2.1961), Deputy Managing Director, State Bank of India, as Managing Director & Chief Executive Officer in Andhra Bank with effect from the date of assumption of office, or till attaining the age of superannuation (*i.e.*, 28.2.2021), or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/2/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2018

का. आ. 1713.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक, श्री अशोक कुमार प्रधान (जन्म तिथि 8.5.1960) को दिनांक 1.10.2018 को या इसके पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तथा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख (अर्थात् 31.5.2020) तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/2/2018-बीओ-1]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 19th September, 2018

S.O. 1713.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, the Central Government, hereby appoints Shri Ashok Kumar Pradhan (DoB 8.5.1960), Executive Director, United Bank of India as Managing Director & Chief Executive Officer in United Bank of India with effect from the date of assumption of office on or after 1.10.2018 and upto the date of his attaining the age of superannuation (*i.e.*, 31.5.2020), or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/2/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2018

का. आ. 1714.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, इंडियन बैंक के कार्यपालक निदेशक, श्री ए. एस. राजीव (जन्म तिथि 15.5.1964) को दिनांक 1.12.2018 को या इसके पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/2/2018-बीओ-1]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 19th September, 2018

S.O. 1714.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, the Central Government, hereby appoints Shri A. S. Rajeev (DoB 15.5.1964), Executive Director, Indian Bank as Managing Director & Chief Executive Officer in Bank of Maharashtra, for a period of three years with effect from the date of assumption of office on or after 1.12.2018, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/2/2018-BO-I]
S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2018

का. आ. 1715.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री राकेश जैन (जन्म तिथि 18.8.1957) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिजर्व बैंक के दक्षिणी स्थानीय बोर्ड में सदस्य नियुक्त करती है।

[फा. सं. 6/1/2018-बीओ-I]
एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 19th September, 2018

S.O. 1715.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby appoints Shri Rakesh Jain (DoB: 18.8.1957) to be a Member of the Southern Local Board of the Reserve Bank of India, for a period of four years from the date of notification of his appointment, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/1/2018-BO-I]
S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2018

का. आ. 1716.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री राघवेन्द्र नारायण दूबे (जन्म तिथि 29.3.1958) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिजर्व बैंक के उत्तरी स्थानीय बोर्ड में सदस्य नियुक्त करती है।

[फा. सं. 6/1/2018-बीओ-I]
एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 19th September, 2018

S.O. 1716.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby appoints Shri Raghvendra Narayan Dubey (DoB: 29.3.1958) to be a Member of the Northern Local Board of the Reserve Bank of India, for a period of four years from the date of notification of his appointment, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/1/2018-BO-I]
S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2018

का. आ. 1717.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, उत्तरी स्थानीय बोर्ड से सुश्री रेवती अय्यर (जन्म तिथि 28.5.1954) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त करती है।

[फा. सं. 6/1/2018-बीओ-I]
एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 19th September, 2018

S.O. 1717.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby nominates Ms. Revathy Iyer (DoB: 28.5.1954) from Northern Local Board to be Director on the Central Board of Directors of Reserve Bank of India, for a period of four years from the date of notification of her appointment or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/1/2018-BO-I]
S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2018

का. आ. 1718.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, सुश्री रेवती अय्यर (जन्म तिथि 28.5.1954) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिजर्व बैंक के उत्तरी स्थानीय बोर्ड में सदस्य नियुक्त करती है।

[फा. सं. 6/1/2018-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 19th September, 2018

S.O. 1718.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby appoints Ms. Revathy Iyer (DoB: 28.5.1954) to be a Member of the Northern Local Board of the Reserve Bank of India, for a period of four years from the date of notification of her appointment or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/1/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2018

का. आ. 1719.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, पूर्वी स्थानीय बोर्ड से प्रो. सचिन चतुर्वेदी (जन्म तिथि 26.10.1967) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, डॉ. नचिकेत मधुसूदन मोर के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त करती है।

[फा. सं. 6/1/2018-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 19th September, 2018

S.O. 1719.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby nominates Prof. Sachin Chaturvedi (DoB: 26.10.1967) from Eastern Local Board to be Director on the Central Board of Directors of Reserve Bank of India *vice* Dr. Nachiket Madhusudan Mor, for a period of four years from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/1/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2018

का. आ. 1720.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, प्रो. सचिन चतुर्वेदी (जन्म तिथि 26.10.1967) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वी स्थानीय बोर्ड में सदस्य नियुक्त करती है।

[फा. सं. 6/1/2018-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 19th September, 2018

S.O. 1720.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby appoints Prof. Sachin Chaturvedi (DoB: 26.10.1967) to be a Member of the Eastern Local Board of the Reserve Bank of India, for a period of four years from the date of notification of his appointment, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/1/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2018

का. आ. 1721.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, बैंक आफ इंडिया के महाप्रबंधक, श्री अजेय कुमार आजाद (जन्म तिथि 5.4.1961) को दिनांक 22.1.2019 को या इसके पश्चात कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तथा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त

करने की तारीख (अर्थात् 30.4.2021) तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पंजाब नैशनल बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/5/2018-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 20th September, 2018

S.O. 1721.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, the Central Government, hereby appoints Shri Agyey Kumar Azad (Date of Birth: 5.4.1961), General Manager, Bank of India, as Executive Director in Punjab National Bank with effect from the date of assumption of office on or after 22.1.2019 and up to the date of his attaining the age of superannuation (*i.e.*, 30.4.2021), or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/5/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2018

का. आ. 1722.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, पंजाब नैशनल बैंक के महाप्रबंधक, श्री गोपाल सिंह गुसाई (जन्म तिथि 3.1.1962) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, यूनियन बैंक आफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/5/2018-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 20th September, 2018

S.O. 1722.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, the Central Government, hereby appoints Shri Gopal Singh Gusain, (Date of Birth: 3.1.1962) General Manager, Punjab National Bank as Executive Director in Union Bank of India, for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/5/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2018

का. आ. 1723.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, विजया बैंक के महाप्रबंधक, श्री विजय दुवे (जन्म तिथि 7.8.1963) को दिनांक 1.11.2018 को या इसके पश्चात कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, ओरियंटल बैंक आफ कामर्स में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/5/2018-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 20th September, 2018

S.O. 1723.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1980 read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1980, the Central Government, hereby appoints Shri Vijay Dube (Date of Birth: 7.8.1963), General Manager, Vijaya Bank as Executive Director in Oriental Bank of Commerce, for a period of three years with effect from the date of assumption of office on or after 1.11.2018, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/5/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2018

का. आ. 1724.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, पंजाब नैशनल बैंक के महाप्रबंधक, श्री आलोक श्रीवास्तव (जन्म तिथि 22.11.1962) को दिनांक 23.1.2019 को या इसके पश्चात कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/5/2018-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 20th September, 2018

S.O. 1724.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, the Central Government, hereby appoints Shri Alok Srivastava (Date of Birth: 22.11.1962), General Manager, Punjab National Bank as Executive Director in Central Bank of India, for a period of three years with effect from the date of assumption of office on or after 23.1.2019, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/5/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2018

का. आ. 1725.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, केनरा बैंक के महाप्रबंधक, श्री हेमंत कुमार टमटा (जन्म तिथि 6.3.1962) को दिनांक 31.12.2018 को या इसके पश्चात कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक आफ महाराष्ट्र में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/5/2018-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 20th September, 2018

S.O. 1725.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, the Central Government, hereby appoints Shri Hemant Kumar Tamta (Date of Birth: 6.3.1962), General Manager, Canara Bank as Executive Director in Bank of Maharashtra, for a period of three years with effect from the date of assumption of office on or after 31.12.2018, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/5/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2018

का. आ. 1726.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, यूनियन बैंक आफ इंडिया के महाप्रबंधक, श्री पी. आर. राजगोपाल (जन्म तिथि 14.7.1967) को दिनांक 1.3.2019 को या इसके पश्चात कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इलाहाबाद बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/5/2018-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 20th September, 2018

S.O. 1726.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, the Central Government, hereby appoints Shri P. R. Rajagopal (Date of Birth: 14.7.1967), General Manager, Union Bank of India as Executive Director in Allahabad Bank, for a period of three years with effect from the date of assumption of office on or after 1.3.2019, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/5/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2018

का. आ. 1727.—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) की दिनांक 19.09.2018 की अधिसूचना के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा इंडियन बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री ए. एस. राजीव को दिनांक 1.12.2018 को या इसके पश्चात कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक आफ महाराष्ट्र में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, यूनियन बैंक आफ इंडिया के महाप्रबंधक, श्री शिनाय विश्वनाथ विट्टल (जन्म तिथि 19.3.1962) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, श्री ए. एस. राजीव के स्थान पर इंडियन बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/5/2018-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 20th September, 2018

S.O. 1727.—*Vide* Government of India, Ministry of Finance (Department of Financial Services), notification dated 19.9.2018, Central Government appointed Shri A. S. Rajeev, Executive Director, Indian Bank, as Managing Director and Chief Executive Officer in Bank of Maharashtra, for a period of three years with effect from the date of assumption of office on or after 1.12.2018, or until further orders, whichever is earlier.

In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, the Central Government, hereby appoints Shri Shenoy Vishwanath Vittal (Date of Birth: 19.3.1962), General Manager, Union Bank of India as Executive Director, Indian Bank, *vice* Shri A. S. Rajeev, for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/5/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2018

का. आ. 1728.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, विजया बैंक के महाप्रबंधक, श्री अजय के. खुराना (जन्म तिथि 17.3.1964) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सिंडिकेट बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/5/2018-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 20th September, 2018

S.O. 1728.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, the Central Government, hereby appoints Shri Ajay K. Khurana (Date of Birth: 17.3.1964), General Manager, Vijaya Bank as Executive Director in Syndicate Bank, for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/5/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2018

का. आ. 1729.—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) की दिनांक 19.09.2018 की अधिसूचना के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा यूनियन बैंक आफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक श्री अतुल कुमार गोयल को दिनांक 2.11.2018 को या इसके पश्चात कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, यूको बैंक में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, बैंक आफ इंडिया के महाप्रबंधक, श्री दिनेश कुमार पूनमचन्द गर्ग (जन्म तिथि 20.9.1961) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए तथा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख (अर्थात् 30.9.2021) तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, श्री अतुल कुमार गोयल के स्थान पर यूनियन बैंक आफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/5/2018-बीओ-I]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 20th September, 2018

S.O. 1729.—*Vide* Government of India, Ministry of Finance (Department of Financial Services), notification dated 19.9.2018, Central Government appointed Shri Atul Kumar Goel, Executive Director, Union Bank of India, as Managing Director and Chief Executive Officer in UCO Bank, for a period of three years with effect from the date of assumption of office on or after 2.11.2018, or until further orders, whichever is earlier.

In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, the Central Government hereby appoints Shri Dinesh Kumar Poonamchand Garg (Date of Birth: 20.9.1961), General Manager, Bank of India as Executive Director in Union Bank of India, *vice* Shri Atul Kumar Goel, for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or till attaining the age of superannuation (*i.e.*, 30.9.2021), or until further orders, whichever is earliest.

[F. No. 4/5/2018-BO-I]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2018

का. आ. 1730.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, इलाहाबाद बैंक के महाप्रबंधक, श्री शांति लाल जैन (जन्म तिथि 1.1.1965) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक आफ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/5/2018-बीओ-1]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 20th September, 2018

S.O. 1730.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, the Central Government, hereby appoints Shri Shanti Lal Jain (Date of Birth: 1.1.1965), General Manager, Allahabad Bank, as Executive Director in Bank of Baroda for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/5/2018-BO-1]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2018

का. आ. 1731.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, पंजाब नैशनल बैंक के महाप्रबंधक, श्री मानस रंजन बिस्वाल (जन्म तिथि 1.5.1962) को दिनांक 1.3.2019 को या इसके पश्चात कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, यूनियन बैंक आफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/5/2018-बीओ-1]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

New Delhi, the 20th September, 2018

S.O. 1731.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, the Central Government, hereby appoints Shri Manas Ranjan Biswal (Date of Birth: 1.5.1962), General Manager, Punjab National Bank, as Executive Director in Union Bank of India, for a period of three years with effect from the date of assumption of office on or after 1.3.2019, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/5/2018-BO-1]

S. R. MEHAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2018

का. आ. 1732.—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) की दिनांक 19.09.2018 की अधिसूचना के माध्यम से केंद्रीय सरकार द्वारा युनाइटेड बैंक आफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक श्री अशोक कुमार प्रधान को दिनांक 1.10.2018 को या इसके पश्चात कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तथा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख (अर्थात् 31.5.2020) तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, युनाइटेड बैंक आफ इंडिया में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग